



भारत सरकार/Government of India
जल शक्ति मंत्रालय/Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग/Department of Water
Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
केन्द्रीय जल आयोग/Central Water Commission
स्थापना - आठ अनुभाग/Establishment - E-VIII Section

तृतीय तल (दक्षिण), सेवा भवन/3rd Floor (S), Sewa Bhawan,
आर. के. पुरम, नई दिल्ली-66/R. K. Puram, New Delhi-66
दिनांक/Dated: 31.12.2024

परिपत्र

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय जल आयोग (मु०) में कार्यरत ऐसी महिला, बहु कार्य निष्पादक जो बाल देखभाल छुट्टी (Child Care Leave) के लिए सक्षम है और वह बाल देखभाल छुट्टी (Child Care Leave) का आवेदन करती है | As per Rule 43-C Para (7) - Government of India Decisions Para (3) (i) CCL cannot be demanded as a matter of right. Under no circumstances can any employee proceed on CCL without prior proper approval of the leave by the leave sanctioning authority.

2. अतः उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि बाल देखभाल छुट्टी (Child Care Leave) जाने के 07 दिन पहले अपने सक्षम अधिकारी से आवेदन स्वीकृत कराकर स्था० - आठ अनुभाग में अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करें।


(नितिन कुमार पटेल)
सहायक निदेशक (स्था०-आठ)
सहायक निदेशक-II/Asstt. Director-II
केन्द्रीय जल आयोग/C.W.C.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi